भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.898

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

राजमार्गों के निर्माण में प्लास्टिक अवशिष्ट का उपयोग

898. श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री मनोज कोटकः

श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश में विशेषकर तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग निर्माण में सड़क ढुलाई में अवशिष्ट पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग किया है या उसका उपयोग करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एनएचएआई के लिए विशेष रूप से पांच लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरी इलाकों से 50 कि॰मी॰ के निकटस्थ क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण में आठ प्रतिशत प्लास्टिक अवशिष्ट का उपयोग करना अनिवार्य करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में एनएचएआई के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्लास्टिक अवशिष्ट संग्रह करने एवं सड़क निर्माण में उपयोग हेतु प्लास्टिक अवशिष्ट प्राप्त करने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समन्वय करने का निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध विभिन्न जागरूकता अभियान भी आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन सड़कों पर कोई क्षेत्र परीक्षण किया है जो प्लास्टिक अवशिष्ट के द्वारा निर्मित किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में इसके उपयोग पर विचार किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्लास्टिक अवशिष्ट के उपयोग से निर्मित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है; और

(च) क्या प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी वर्तमान में राजमार्गों के निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च): भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) ने प्रयोगशाला के साथ-साथ भारत में किए गए फील्ड कार्य निष्पादन अध्ययन / जांच के आधार पर आईआरसी एसपी:98:2013 'ऊपरी सतह में गर्म बिटुमिनस मिश्रण (शुष्क प्रक्रिया) में अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश' तैयार किए हैं। आईआरसी एसपी: 98: 2013 के

अनुसार अपशिष्ट का उपयोग बिटुमेन के वजन से 8 प्रतिशत तक और मिश्र डिजाइन जरूरत के अनुसार होना चाहिए। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की 50 किमी की परिधि के भीतर इसके इस्तेमाल के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश में इसके निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में कम से कम 10 किमी के एक खंड का मूल्यांकन करने का नियम भी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के 11 किमी पर ऊपरी सतह में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने फैसला किया है कि 2019-20 में "स्वच्छता ही सेवा अभियान (एसएचएस)" में मुख्य विषय के रूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें अपशिष्ट प्लास्टिक के संग्रहण और उसके दोबारा इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसमें सड़क निर्माण में जागरूकता पैदा करना, रिसाइक्लिंग और संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रभावी निपटान शामिल हैं।

****